न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 3139–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 5–6–2013 पारित द्वारा आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर प्रकरण कमांक 20/अपील/2012–13.

मे. नेपा लिमिटेड द्वारा
मुख्त्यारआम एवं डिप्टी जनरल मैनेजर (लीगल)
आर. रामनाथन पिता व्ही. रमेशनन्
निवासी नेपा लिमिटेड,
नेपानगर जिला बुरहानपुर ..... अपीलार्थी

विरूद्ध

1– म0प्र0 शासन द्वारा सचिव,
राजस्व विभाग वल्लभ भवन भोपाल
2– चीफ रेवेन्यु कमिश्नर
विंध्याचल भवन भोपाल
3– आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर
4– कलेक्टर जिला बुरहानुपर
5– तहसीलदार, तहसील नेपानगर
जिला बुरहानपुर ..... प्रत्यर्थीगण

सुश्री साधना पाठक, अभिभाषक, अपीलार्थी
श्री हेमन्त मुंगी, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/5/16 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–6–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नेपानगर की बीड़ रैयत स्थित शासकीय भूमि सर्वे कमांक 91 रकबा 9.95 हेक्टेयर नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल नेपानगर (वर्तमान में नेपा लिमिटेड नेपानगर) को शासकीय पट्टे पर दी गई थी एवं राजस्व अभिलेखों में भी अपीलार्थी का नाम पट्टेदार के रूप में दर्ज हो गया । उक्त भूमि में से

अपीलार्थी इकाई द्वारा 4.00 हेक्टेयर भूमि पर प्राथमिक शिशु मंदिर स्टेज तथा नेपा लिमिटेड के क्वार्टर बनाये गये तथा शेष भूमि रिक्त पड़ी हुई है । म0प्र0 शासन, राजस्व विभाग के पत्र कमांक एफ/6–15/2009/सात, भोपाल दिनांक 1–12–2009 में निर्देश दिये गये हैं कि संहिता/राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं, राज्य शासन तथा भारत सरकार के उपकमों के कार्यालयों को भूमि आवंटित की गई है । यह संभव है कि उनमें से कुछ वर्तमान में कियाशील न हों, अतः ऐसे प्रकरणों की समीक्षा की जाकर जहां उपयुक्त पाया जाये पट्टा निरस्तीकरण कर शासन हित में कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये । उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर, बुरहानपुर द्वारा समीक्षा के दौरान पाया गया कि अपीलार्थी इकाई को आवंटित भूमि में से 5.95 हेक्टेयर भूमि रिक्त पड़ी है, जबकि म0प्र0 शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा नेपानगर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (30 बिस्तर) भवन एवं आवासगृह निर्माण हेतु वर्ष 2009 में स्वीकृति प्रदान की गई है, परन्तु भूमि उपलब्ध नहीं होने से निर्माण कार्य नहीं हो पाया है, जिससे जनसामान्य को अत्यंत परेशानी हो रही है । कलेक्टर द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थी इकाई को कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया । अपीलार्थी इकाई द्वारा उत्तर प्रस्तुत किये जाने के पश्चात कलेक्टर द्वारा दिनांक 24–10–2011 को आदेश पारित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि शासन हित में अपीलार्थी इकाई से वापिस ली गई । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, जो कि निरस्त हुई । इसके पश्चात अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका कमांक 4727/2012 दायर की गई । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 15–5–2012 को आदेश पारित कर आयुक्त को चार सप्ताह के अन्दर आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये । आयुक्त द्वारा सुनवाई उपरांत दिनांक 5–6–2013 को आदेश पारित कर कलेक्टर के आदेश दिनांक 24–10–2011 में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से यथावत रखा जाकर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से केवल यही आधार लिया गया है कि अपीलार्थी को दिया गया 5.95 एकड़ का पट्टा इस कारण निरस्त किया गया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (30 बिस्तर) भवन एवं आवास गृह निर्माण हेतु

भूमि उपलब्ध नहीं है, जबकि उक्त अस्पताल का अन्य भूमि पर निर्माण हो चुका है, इसलिए कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का निरस्त किया गया पट्टा बहाल किया जाये ।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिषक द्वारा मुख्य रूपये से तर्क प्रस्तुत किया गया कि 9.95 हेक्टेयर भूमि अपीलार्थी इकाई को शासन द्वारा पट्टे पर दी गई थी, और प्रश्नाधीन भूमि 5.95 हेक्टेयर वर्तमान में रिक्त पड़ी है, जिसका उपयोग अपीलार्थी इकाई द्वारा नहीं किया गया है । अतः राज्य शासन के पत्र के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर द्वारा प्रश्नाधीन भूमि वापिस लेने में पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि जहां एक ओर अपीलार्थी इकाई को आवंटित भूमि रिक्त पड़ी है, वहीं दूसरी ओर सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र के लिए भूमि उपलब्ध नहीं होने से उसका निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिससे जनसमुदाय को परेशानी हो रही है, इस दृष्टि से भी कलेक्टर द्वारा भूमि वापिस लेने के आदेश पारित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा म0प्र0 शासन राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक एफ/6–15/2009/सात, भोपाल दिनांक 1–12–2009 के पालन में, जिसमें निर्देश दिये गये हैं कि संहिता/राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं, राज्य शासन तथा भारत सरकार के उपकमों के कार्यालयों को भूमि आवंटित की गई है । यह संभव है कि उनमें से कुछ वर्तमान में कियाशील न हों, अतः ऐसे प्रकरणों की समीक्षा की जाकर जहां उपयुक्त पाया जाये पट्टा निरस्तीकरण कर शासन हित में कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही की जाये, आवेदक संस्था को आवंटित 5.95 हेक्टेयर भूमि रिक्त होने से कलेक्टर द्वारा पट्टा निरस्त कर कब्जा लेने की कार्यवाही की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इस कारण आयुक्त द्वारा कलेक्टर के आदेश की पुष्टि करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । इस संबंध में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाया गया यह आधार मान्य किए जाने योग्य नहीं है कि जिस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए आवेदक संस्था को आवंटित भूमि वापिस ली गई है, उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण अन्य भूमि पर हो गया है, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का अन्य भूमि पर निर्माण हो जाने मात्र से यह नहीं ठहराया जा सकता है

कि अपीलार्थी संस्था को आवंटित 5.95 हेक्टेयर भूमि का उपयोग अपीलार्थी संस्था द्वारा किया जा रहा है । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 5–6–2013 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर